**श्री जगदीश ठाकुर, पुत्र श्री हेम राज, मकान संख्या 18, वार्ड नंबर 10, गांधीनगर, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) और श्री अभयवीर सिंह, पुत्र इंद्र सिंह, गांव छांव, डाकघर बरारा, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) के द्वारा खसरा संख्या 544 (सरकारी भूमि), मौजा जलाडी, मोहाल गलोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 10–03–17 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन @1,91,855 टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर दिनांक 18.09.2024 को सुबह 11:30 बजे को गांव गुणा–करौर, डाकघर करौर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र) में डाईट के पास खुली जमीन पर अयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।**

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 18.09.2024 को सुबह 11:30 बजे, श्री जगदीश ठाकुर, पुत्र श्री हेम राज, मकान संख्या 18, वार्ड नंबर 10, गांधीनगर, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) और श्री अभयवीर सिंह, पुत्र इंद्र सिंह, गांव छांव, डाकघर बरारा, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) के द्वारा खसरा संख्या 544 (सरकारी भूमि), मौजा जलाडी, मोहाल गलोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 10–03–17 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन @1,91,855 टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर गांव गुणा–करौर, डाकघर करौर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र) में डाईट के पास खुली जमीन पर पर्यावरणीय जन सुनवाई का अयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हमीरपुर एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान उपमंडलीय दंडाधिकारी नादौन, उप प्राभागिय न्यायधीश, खनन अधिकारी हमीरपुर, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, ई. प्रदीप मौदगिल, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ करते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

| क्रमांक | नाम व पता | मामले / सुझाव | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. खुशहाल ठाकुर, गांव कमलाह, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) | उन्होनें निम्नलिखित मुद्दे उठाए।<br>1. उन्होनें प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना का विरोध करते हुए कहा कि द्वारा बताया गया है कि खनन गतिविधियाँ केवल 1 मीटर की गहराई तक ही की जा सकती है, लेकिन इस गतिविधि की निगरानी कौन करेगा?<br>2. खनन गतिविधि के कारण नदी के किनारे स्थित आस–पास की निजी भूमि पर मिट्टी का कटाव होगा।<br>3. यदि यह खनन पट्टा अनुमोदित होता है, तो यह क्षेत्र में जलस्तर को कम करेगा और खनन स्थल से 700 मीटर के भीतर स्थित सात पेयजल योजनाओं को प्रभावित करेगा। ये | परामर्शदाता द्वारा दिए गए उत्तर :<br>1. प्रस्तावित खनन परियोजना स्वीकृति पाने की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हैः जिसमें जन सुनवाई का होना हैं और इसके आगे चौथा चरण मूल्यांकन है। उन्होनें बताया कि 1 मीटर की गहराई का नियमन खनन योजना के अनुसार है, और प्रस्तावक इसके पालन के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित खनन परियोजना में |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | योजनाएँ 70–80 गांवों को पानी प्रदान कर रही हैं। इससे क्षेत्र में पानी की कमी बढ़ेगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।<br>4. उन्होनें पेड़ों के पौधारोपण के मुद्दे को भी उठाया कि पहले आप खनन करेंगे और फिर पौधे लगाएंगे। ये बातें बाद के लिए हैं।<br>5. उन्होनें यह भी कहा कि परामर्शदाता द्वारा बताया गया है कि खनिज सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को ठीक से ढका जाएगा। हालांकि, इसकी निगरानी या नियंत्रण कौन करेगा? कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। अतंतः इससे स्थानीय पर्यावरण पर ही प्रभाव पड़ेगा।<br><br>उन्होनें प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना का विरोध किया। | होनें वाला खनन भूजल स्तर को प्रभावित नहीं करेगा जिससे इस खनन पट्टा परियोजना का ग्राउंड वाटर टेबल पर कोई असर नही पड़ेगा।<br>2. परियोजना के आस–पास कृषि भूमि के लिए, सुरक्षा क्षेत्र के 10 प्रतिशत के अलावा, कृषि भूमि की ओर अतिरिक्त 5 मीटर भूमि छोड़ी जाएगी।<br>3. संयुक्त समिति ने पहले ही स्थल का दौरा किया है और सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जल आपूर्ति योजना प्रस्तावित खनन परियोजना से 380 मीटर बाद/दूर है और यह सरकार के मानक यानी न्यूनतम 75 मीटर की दूरी को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रस्तावक उन योजनाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाएगा।<br>4. नदी तल में पौधे टिकता नहीं है, इसलिए पौधारोपण सुरक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। |
| 2. | श्री अमी चंद, प्रधान, ग्राम पंचायत गुणा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) | उन्होनें निम्नलिखित मुद्दे उठाए:<br>1. मैंने स्थानीय पंचायत के निवासियों से परियोजना के बारे में चर्चा की है, और सभी गांववसियों ने प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध किया है।<br>2. अंततः इसमे खनन होगा, जो जलस्तर के कमी का कारण बनेगा। खनन और क्रशर हर जगह स्थापित किए जा रहे हैं।<br>3. अनुसंधान और सर्वेक्षण टीमें अत्यंत शिक्षित हैं, यही कारण है कि ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मैंने पंचायत के निवासियों से चर्चा की है जो यहाँ बैठे हैं, और सभी ने परियोजना पर अपनी असहमति व्यक्त की है।<br>4. एक प्रधान के रूप में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि मैं गुणा गांव के लोगों द्वारा चुना गया हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वे परियोजना के साथ सहमत हैं। इस आह्वान के जवाब में, कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय जनता ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की। | |
| 3. | श्री ब्रहम दास, पूर्व सदस्य, ग्राम पंचायत गुणा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) | उन्होनें निम्नलिखित मुद्दे उठाए:<br><br>1. उन्होनें बताया कि उन्होनें 10 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक कृषि की है। उनकी राय में, उनके पास इस जन सुनवाई में बैठे किसी भी व्यक्ति से अधिक अनुभव है। वह जानते है कि कैसे धरती से धन उत्पन्न किया जाता है। उन्होनें कहीं नौकरी नही की और | परामर्शदाता ने उत्तर दिया:<br><br>जलस्तर के कमी के बारे में सवाल एक सामान्य चिंता है। यह केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश भर में भूजल स्तर कम हो रहा है। इसलिए, भारत सरकार ट्यूबवेल्स की बजाय तालाब सिंचाई पर अधिक बल दे रही है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | कृषि करके ही खुद को स्थापित किया और अपने बच्चों को पालन पोषण किया। उन्होनें कहा," सियाने बोलदे लाहये ते खेती नी होंदी"और उन्होनें कृषि करके धन कमाया और जीवन यापन किया।<br>2. उन्हानें बताया कि कभी यहाँ एक कुहल (सिंचाई नहर) थी, जो इस क्षेत्र के ऊपर थी। यदि हम यहाँ 10 मीटर का डेम भी बनाते हैं, तो आज हमें उतना पानी नहीं मिलेगा, तो वह पानी कहाँ गया।<br>3. पिछले 10 वर्षों में, मेरे ट्यूबवेल में पानी की 5 फीट कम हो गया है। मैं कठोर परत के कारण गहरी खुदाई नहीं कर सकता। गर्मी के मौसम में, क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है।<br>4. यदि कोई प्रदूषण नहीं है, पानी की कमी नहीं है, मिट्टी का कटाव नहीं है, तो इस जन सुनवाई का आयोजन क्यों किया गया है? यह नाटक क्यों?<br>5. यदि हम 1 मीटर गहराई तक खुदाई करते हैं, तो कोई फसल नहीं होगी और मैं चुनौती देता हूँ कि कोई अधिकारी फूलगोभी उगा कर दिखाए।<br>6. हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि उक्त परियोजना को कहीं और स्थानांतरित किया जाए और गुणा गांव के लोगों को शांतिपूर्वक जीने दिया जाए।<br><br>उन्होनें धन्यवाद के साथ समाप्त किया।<br><br>उन्होनें कुछ वक्ताओं के बाद फिर से अपनी चिंता उठाईः<br><br>उन्होनें खनन विभाग से पहले से ही कटाव हो चुकी कृषि भूमि के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की।<br>उन्होनें कहा कि विभाग से कोई सहायता नहीं मिली। | सरकार के द्वारा ग्राउंड वॉटर रिचार्ज के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। परियोजना से संबंधित सवालों पर, खनन की गहराई के बारे में उन्होनें कहा कि खनन योजना उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित है और जांच और सुझाव के लिए लोग वेबसाइट पर पर्यावरण स्वीकृति देख सकते हैं। प्रस्तावक को खनन कार्यालय में प्रत्येंक छमाही की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, और अगर कोई शिकायत है, तो जिला खनन अधिकारी से की जा सकती है।<br>जलस्तर में कमी एक सामान्य चिंता है और यह प्रस्तावित परियोजना से ज्यादा संबंधित नहीं है।<br><br>परामर्शदाता ने आगे उत्तर दियाः<br><br>प्रस्तावित खनन परियोजना में अतिरिक्त 5 मीटर भूमि छोड़ी जाएगी और भूमि की सुरक्षा के लिए चेक डैम प्रदान किए जाएंगे। मिट्टी के कटाव की संभावना के लिए, प्रस्तावक ने खनन परियोजना में 05 रिटेनिंग वॉल्स की व्यवस्था की है। |
| 4 | श्री देवी शरण, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत करौर, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) | उन्होनें निम्नलिखित मुद्दे उठाएः<br>1. उन्होनें स्थानीय जनता की शिकायतों को हल करने के लिए जन सुनवाई आयोजित करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होनें कहा कि लोगों के पास खड्ड के दोनों तरफ की जमीन के अधिकार हैं। हमारे पास खड्ड से सटी भूमि है। इस क्षेत्र में एक पुल और सड़क के निमार्ण का प्रस्ताव था। हालांकि, परियोजना स्थापित होने के बाद हम इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।<br>2. हम इस प्रस्ताव के कारण हमारी भूमि के खराब होने के मुद्दे को को सरकार या उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाएंगे। इसके अलावा, इस भूमि पर सार्वजनिक उपयोगिता के साधनों स्टेडियम आदि के निमार्ण का प्रस्ताव भी है।<br>3. उन्होनें आगे स्थानीय लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा।<br>उन्होनें प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना का विरोध | परामर्शदाता ने उत्तर दियाः<br>खान और खनिज अधिनियम, 1957 के तहत जिला खनिज फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत, रॉयल्टी के अतिरिक्त, प्रस्तावक को हर टन निकाले गए खनिज पर 10 रुपये जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को देना होगा। सरकार ने एक क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की है, जिसे खानिज क्षेत्र कल्याण योजना कहा जाता है, जिसमें 10 प्रतिशत प्रशासनिक खर्च के बाद, शेष 80 प्रतिशत फंड स्थानीय प्रभावित जनता की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। 5 मीटर की सुरक्षा क्षेत्र अतिरिक्त एहतियाती उपाय हैं।<br><br>यदि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो जाती है, तो खनन केवल राजस्व विभाग की |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | और चिन्हित सीमा से बाहर कोई खनन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि को नदी के तल की भूगर्भीय सर्वेक्षण के बाद नीलाम किया गया है। |
| 5 | श्री रमेश चंद, गांव गलोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) | उन्होनें कहा कि हमारी भूमि पंजाब के समान है। यह बहुत उपजाऊ है। हम वर्षों से अपनी भूमि को मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स की मांग कर रहे हैं। उन्होनें फिर से दोहराया कि हम प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं और यही हमारा निर्णय है।<br>पहले भी मृदा निरीक्षक ने रिटेनिंग वॉल के निमार्ण के लिए 22 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया था, जिसे कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। उन्होनें अनुरोध किया कि भूमि के कटाव की गतिविधियाँ रोकी जाएं। | |

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान एवं कार्यक्रम के बाद भी लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार सभी लोग प्रस्तावित खन्न परियोजना के विरोध में हैं।

अंत में श्री प्रदीप मौदगिल, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमीरपुर ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बाद किसी वक्ता के न होन पर, अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने का धन्यवाद किया।

(राहुल चौहान, एचपीएएस),
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हिप्र)